



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - थाना जहानगंज

दिनांक - 04.11.2023

**थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं- 298/23 धारा- 3(1) गैगस्टर एक्ट
थाना नवाबगंज में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं- 298/23 धारा-3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज में वांछित अभियुक्तगण 1. सत्यपाल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाटव निवासी कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ 2. अहिवरन पुत्र रामचन्द्र निवासी चिकन वाली गली कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 04.11.2023 को बघार नाला थाना जहानगंज से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सत्यपाल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाटव निवासी कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
2. अहिवरन पुत्र रामचन्द्र निवासी चिकन वाली गली कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त सत्यपाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं-298/23 धारा -3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं-33/2022 धारा -302/201/34 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अहिवरन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं-298/23 धारा -3(1) गैगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं-33/2022 धारा -302/201/34 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त सत्यपाल से 870 रुपये
2. अभियुक्त अहिवरन से 700 रुपये

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह सोलंकी
2. का0 अमित कुमार
3. का0 मनोज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

थाना मऊदरवाजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मंयक शाक्य पुत्र स्व० बजरंग विहारी शाक्य नि० बीवीगंज मेहरवान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-381/2020 वाद सं० – 1255/2020 धारा 302 भा०द०वि० थाना मऊदरवाजा में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 04.11.2023 को मा०न्यायालय डकैती कोर्ट द्वारा अभियुक्त मंयक शाक्य को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर आशीष



पैरोकार का० नितिन कुमार



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 04.11.23

कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा मु0अ0स0- 520/23 धारा- 498ए/304बी व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 04.11.23 को मु0अ0स0 520/23 धारा 498ए/304बी व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आमोद कुमार पुत्र शिवनन्दन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी पुलिस लाईन के आगे गांव करबला कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को मुखविर खास की सूचना पर पुलिस लाईन के समीप जिला जेल चौराहे के सामने से गिरफ्तार किया गया।



पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त के द्वारा जुर्म से इंकार करते हुये अपनी सफाई मा0 न्यायालय में देना बताया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमोद कुमार पुत्र शिवनन्दन निवासी पुलिस लाईन के आगे गांव करबला कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त आमोद का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0- 520/23 धारा- 498ए/304बी व 3/4 डीपी एक्ट कोतवाली फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:- निल ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ टीम:-

- 1- उ0नि0 अनिल सिंह
- 2- का0 अंकुश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़













